कुलगीत

विद्या का ऐसा मन्दिर, कोई कहीं नहीं है।
राजर्षि कीर्ति मन्दिर, जैसा कहीं नहीं है॥

राजर्षि का यह उपवन, होता जहाँ मगन मन।
सरसे जहाँ सुधाकन, विज्ञान ज्ञान पावन॥
काशी की ज्ञान गंगा, गुरु-कुल नवल धवल है।
उस देव से तपोधन, की कल्पना प्रबल है॥

विद्या का ऐसा मन्दिर, कोई कहीं नहीं है।
राजर्षि कीर्ति मन्दिर, जैसा कहीं नहीं है।

दृढ़ राष्ट्र भक्ति मन में, शक्ति भरी हो तन में।
बलिदान देश के हित, सेवा का भाव जन में॥
क्षत्रित्व से है जिसने, इस देश को जगाया।
शिक्षा के दीप से है, तम तोम को भगाया॥

विद्या का ऐसा मन्दिर, कोई कहीं नहीं है।
राजर्षि कीर्ति मन्दिर, जैसा कहीं नहीं है।

सर्वस्व दानदाता के, पुण्य की पताका।
मानव को रचने वाली, नवज्योति की शलाका॥
नित सत्य के लिए ही, है सत्य का आराधन।
वेदान्त-योग केवल, जीवन के सच्चे साधन॥

विद्या का ऐसा मन्दिर, कोई कहीं नहीं है।
राजर्षि कीर्ति मन्दिर, जैसा कहीं नहीं है।

मस्तक में ज्ञान गरिमा, मानस में भाव उज्जवल।
मंगल विधान करना, शिक्षा का ध्येय केवल॥
प्राचीन का समागम, नव ज्ञान का भी उद्‌गम।
यह लक्ष्य लेके आगे, बढ़ते रहें सदा हम॥

विद्या का ऐसा मन्दिर, कोई कहीं नहीं है।
राजर्षि कीर्ति मन्दिर, जैसा कहीं नहीं है।

शिक्षा के संदर्भ में राजर्षि के विचार

"ईश्वर ने मनुष्य को ज्ञान मानवता के कल्याण के निमित्त दिया है न कि उसका अहित करने के लिए, जो शिक्षा प्रणाली विश्व शान्ति एवं सम्पूर्ण मानव जाति की उन्नति में सहायक नहीं होती वह किसी काम की नहीं"

-25 नवम्बर 1909 को विद्यालय के नवनिर्मित भवन के उद्‌घाटन के अवसर पर राजर्षि का संदेश।

उदय प्रताप(स्वायत्तशासी) कालेज, वाराणसी

प्रवेश परीक्षा–2020 से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तिथियाँ

- प्रवेश परीक्षा आवेदन पत्र महाविद्यालय की वेबसाइट (www.upcollege.org) के लिंक upcentrance.org पर आनलाइन भरने की तिथिः 20.03.2020 से 15.05.2020
- प्रवेश परीक्षा शुल्क (पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से) जमा करने की अन्तिम तिथि : 15.05.2020
- विलम्ब शुल्क के साथ प्रवेश परीक्षा शुल्क (पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से) जमा करने की अन्तिम तिथिः 30.05.2020

प्रवेश परीक्षा शुल्क विवरण

स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिए	अंतिम तिथि	सामान्य	अन्य पिछड़जाति	अनु0 जाति/ अनु0जनजाति
	15.05.2020	750.00	750.00	650.00
विलम्ब शुल्क के साथ	30.05.2020	850.00	850.00	750.00

प्रवेश परीक्षा की तिथियाँ एवं समय

बी0ए0	बुद्धवार	10 जून, 2020	समय 08.00 से 10.00 बजे तक
बी0काम0	गुरूवार	11 जून, 2020	समय 08.00 से 10.00 बजे तक
बी0एस–सी0 (कृषि)	शुक्रवार	12 जून, 2020	समय 08.00 से 10.00 बजे तक
बी0एस–सी0 (जीव विज्ञान)	शनिवार	13 जून, 2020	समय 08.00 से 10.00 बजे तक
बी0एस–सी0 (गणित)	सोमवार	15 जून, 2020	समय 08.00 से 10.00 बजे तक
एम0ए0– राजनीति शास्त्र एम0एस–सी0–भौतिकी, वनस्पति विज्ञान	मंगलवार	16 जून, 2020	08 से 10.00 बजे तक
एम0ए0– समाज शास्त्र एम0एस–सी0–रसायन एवं सांख्यिकी	मंगलवार	16 जून, 2020	11 से 01.00 बजे तक
एम0ए0– हिन्दी एम0एस–सी0– जन्तु विज्ञान एवं गणित	मंगलवार	16 जून, 2020	02 से 04.00 बजे तक
एम0ए0– भूगोल एवं एम0एस–सी0(कृषि)	बुद्धवार	17 जून, 2020	08 से 10.00 बजे तक
एम0ए0–प्राचीन इतिहास	बुद्धवार	17 जून, 2020	11.00 से 01.00 बजे तक
एम0ए0– अर्थशास्त्र एवं एम0 काम0	बुद्धवार	17 जून, 2020	02.00 से 04.00 बजे तक

स्नातक स्मर पर प्रवेश हेतु खिलाड़ी कोटे के प्रवेशार्थियों के ट्रायल की तिथि 18, 19 एवं 20 जून, 2020 पूर्वान्ह 08.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक।

प्रवेश परीक्षा परिणाम घोषित होने की सम्भावित तिथियाँ :

- बी0ए0, बी0काम0 एवं बी0एस–सी0 (कृषि) 04 जुलाई, 2020
- बी0एस–सी0 (जीव विज्ञान) एवं बी0एस–सी0 (गणित) 06 जुलाई, 2020
- स्नातकोत्तर 08 जुलाई, 2020

काउन्सिलिंग एवं शुल्क जमा करने की तिथियाँ एवं समय

कक्षा	विवरण	काउंसिलिंग तिथि	शुल्क जमा करने की तिथि	समय
बी0काम0, बी0एस–सी0 (कृषि) एवं बी0एस–सी0 (जीव विज्ञान):	**मुख्य सूची**	16 जुलाई, 2020	17 जुलाई, 2020	10.00 से 3.00 बजे तक
	प्रतीक्षा सूची	18 जुलाई, 2020	20 जुलाई, 2020	10.00 से 3.00 बजे तक
बी0ए0 एवं बी0एस–सी0 (गणित वर्ग)	**मुख्य सूची**	21 जुलाई, 2020	22 जुलाई, 2020	10.00 से 3.00 बजे तक
	प्रतीक्षा सूची	23 जुलाई, 2020	24 जुलाई, 2020	10.00 से 3.00 बजे तक

एम.ए./एम.एस–सी./एम.काम./एम.एस–सी. (कृषि)

मुख्य सूची (विज्ञान/कृषि संकाय) : 27 जुलाई, 2020, समयः 10.00 से 02.00 बजे तक
प्रतीक्षा सूची (विज्ञान/कृषि संकाय) : 28 जुलाई, 2020, समयः 10.00 से 02.00 बजे तक
मुख्य सूची (कला/वाणिज्य संकाय) : 29 जुलाई, 2020, समयः 10.00 से 02.00 बजे तक
प्रतीक्षा सूची (कला/वाणिज्य संकाय) :30 जुलाई, 2020, समयः 10.00 से 02.00 बजे तक

- मुख्य सूची के छात्र/छात्राएँ निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित हों। प्रतीक्षा सूची के छात्र/छात्राओं को अपनी उपस्थिति निर्धारित तिथि को 12.00 बजे तक दर्ज करानी होगी तथा उनका प्रवेश सीटों की उपलब्धता तथा वरीयता के क्रम से होगा।
- प्रवेश परीक्षा की तिथियों में परिवर्तन सम्भव है।
- किसी भी त्रुटि का परिमार्जन किया जा सकेगा।

कक्षाएँ आरम्भ होने की सम्भावित तिथि : स्नातक : 01 अगस्त, 2020
स्नातकोत्तर : 06 अगस्त, 2020

Website –: www.upcollege.org.
Tel. No. 0542-2282399 Fax. 0542-2281799
Mob.- 7007308329, 9415374230
9415821331, 9161070220

संस्था का संक्षिप्त परिचय

उदय प्रताप स्वायत्तशासी महाविद्यालय (यू0पी0 कालेज), नगर के पाश्चामोत्तर भाग में भोजूबीर के निकट प्रदूषण मुक्त हरी–भरी विस्तृत भूमि पर स्थित है। प्रकृति के स्वच्छन्द वातावरण में शैक्षणिक, शारीरिक और मानसिक विकास के लिए यह एक सर्वोत्तम संस्थान है। शिक्षा के विशेष उएद्देश्य से प्रेरित होकर बहराइच (श्रावस्ती) जिले के दानवीर भिनगा नरेश राजर्षि उदय प्रताप सिंह जूदेव (1850–1913) ने इसकी नींव 1909 में हिवेट क्षत्रिया हाईस्कूल के रूप में डाली। औदार्य, निर्भीकता और भारतीय संस्कृति के प्रति अगाध प्रेम उनके स्वाभाविक गुण थे। विद्यार्थियों का शारीरिक और मानसिक विकास एक साथ हो सके इसके लिए उन्होंने पठन–पाठन और रहन–सहन की व्यवस्था के अतिरिक्त शारीरिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा आदि की ओर विशेष ध्यान दिया।

सर्वप्रथम राजर्षि जी ने दो लाख रूपये में महाराज कुर्ग का पुराना निवास भवन खरीदा। जिसमें इस समय आर.एस.एम.टी. स्थित है और लगभग पचास एकड़ भूमि क्रय की। विद्यालय के संचालन के लिए 10.50 लाख रूपये की एक स्थाई निधि कायम की और सन् 1909 में शिक्षण कार्य प्रारम्भ करवाया। 1921 में इण्टर कक्षाओं के खुलने पर कोष की अतिरिक्त वृद्धि कर स्थाई निधि को 18.50 लाख रूपये कर दिया गया। इसी वर्ष विद्यालय का नाम हिवेट क्षत्रिया हाई स्कूल से बदलकर उदय प्रताप इण्टरमीडिएट कालेज रखा गया। इण्टर में कृषि और वाणिज्य की कक्षायें क्रमशः 1942 और 1945 में प्रारम्भ की गई।

जुलाई 1949 में कला और वाणिज्य की कक्षाओं के साथ उदय प्रताप डिग्री कालेज की स्थापना हुई। 1950 में विज्ञान तथा 1963 में कृषि की कक्षाओं के खुलने के साथ स्नातक स्तर की पढ़ाई की व्यवस्था पूरी कर ली गई। जुलाई 1970 में विज्ञान और कला के कुछ विशयों में स्नातकोत्तर कक्षायें खोली गयी। जुलाई 1972 में कृषि में भी स्नातकोत्तर कक्षायें तथा अक्टूबर 1972 में बी.एड. की कक्षायें खोली गयी। अब स्नातकोत्तर स्तर कर कला संकाय में हिन्दी, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, प्राचीन इतिहास एवं वाणिज्य व विज्ञान संकाय में सभी विषयों और कृषि संकाय में कृषि अर्थशास्त्र, पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान, उद्यान विज्ञान, कृषि रसायन एवं मृदा विज्ञान की शिक्षा दी जाती है। रोजगारपरक शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से महाविद्यालय में स्नातकोत्तर स्तर पर कम्प्यूटर एवं पर्यावरण विज्ञान में डिप्लोमा पाठ्यक्रमों– पी.जी.डी.सी.ए. तथा पी.जी.डी.ई.एस. के शिक्षण की व्यवस्था है।

कालेज 1949 से 1960 तक काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से सम्बद्ध था, 1960 में गोरखपुर विश्वविद्यालय से तथा 1988 में वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर से सम्बद्ध हुआ। आगामी सत्र 2009–2010 से महाविद्यालय की सम्बद्धता महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी से हो गई है। सत्र 1991–1992 से यह महाविद्यालय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (U.G.C.) द्वारा स्वायत्तशासी घोषित कर दिया गया तथा यू.जी.सी. नैक द्वारा B श्रेणी प्रदत्त है।

कालेज उदय प्रताप शिक्षा समिति द्वारा संचालित है। इस समिति द्वारा संचालित अन्य संस्थाएँ– उदय प्रताप पब्लिक स्कूल, रानी मुरार कुमारी बालिका इण्टर कालेज, उदय प्रताप इण्टर कालेज तथा राजर्षि स्कूल आफ मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नालाजी है। समिति के वर्तमान अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति के0एन0 सिंह (पूर्व मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय) के कुशल मार्गदर्शन एवं दिशा निर्देशन में कालेज निरन्तर प्रगति की दिशा में अग्रसर है।

कालेज को 2011 में यू0जी0सी0 द्वारा College with Potential for excellence, DST द्वारा FIST (Fund for Improvement of Infrastructure in Science & Technology) Programme एवं 2013 में D.B.T. द्वारा STAR College Scheme के तहत चयनित किया गया।

प्रवेश परीक्षा–2020

महत्वपूर्ण सूचनाएँ

1. यह सूचना विवरणिका अभ्यर्थियों के लिए सामान्य दिग्दर्शन मात्र है। तत्पश्चात् होने वाले कोई भी परिवर्तन महाविद्यालय की वेबसाइट www.upcollege.org पर उपलब्ध रहेगा।
2. कालेज द्वारा पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार ही प्रवेश कार्य सम्पन्न करेगा। निर्धारित तिथि पर काउन्सिलिंग या प्रवेश हेतु उपस्थित न होने पर प्रवेशार्थी का प्रवेश का दावा स्वतः निरस्त हो जायेगा।
3. प्रवेश परीक्षा–2020 की प्रवेश प्रक्रिया के लिए निर्धारित एवं अपेक्षित दस्तावेजों की मूलप्रति, प्रवेश के समय प्रस्तुत करना अभ्यर्थी का उत्तर दायित्व होगा। इसे प्रस्तुत न किए जाने की दशा में उसका प्रवेश हेतु दावा स्वतः निरस्त हो जायेगा। अपेक्षित दस्तावेजों की सूची इस विवरणिका में उपलब्ध है तथा समय–समय पर प्रकाशित होने वाली सूचनाओं में भी इनका विवरण उपलब्ध होगा।
4. प्रवेश परीक्षा से सम्बन्धित सभी सूचनाएं कालेज के वेबसाइट, कालेज सूचना पट्ट तथा स्थानीय समाचार पत्र के माध्यम से उपलब्ध होगी।
5. **कालेज में रैगिग पूर्णतया प्रतिबंधित है।** रैगिंग की सूचना मिलने पर माननीय उच्चतम् न्यायालय के आदेशों एवं यू.जी.सी. नई दिल्ली के अनुरूप कड़ी दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

स्नातक प्रवेश परीक्षा–2020 हेतु पात्रता (Eligibility)

1. बी0ए0, बी0एस–सी0 (गणित एवं जीव विज्ञान वर्ग)/ बी0काम0 में प्रवेश हेतु
   (अ) इण्टरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण/सम्मिलित विद्यार्थी ही प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हो सकते है। वर्ष 2018 के पूर्व का उत्तीर्ण छात्र प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकता है।
   (ब) प्रवेशार्थी की आयु 01 जुलाई, 2020 को 22 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
2. बी0एस–सी0 (कृषि) में प्रवेश हेतु –
   (i) माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश से इण्टरमीडिएट कृषि अथवा विज्ञान अथवा मान्यता प्राप्त किसी बोर्ड की ऐसी परीक्षाएं जो इण्टरमीडिएट कृषि अथवा विज्ञान के समकक्ष हो उत्तीर्ण की हो या सम्मिलित हुए हों।
   (ii) ऐसे अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया जायेगा जो योग्यता प्रदायी परीक्षा 2018 से पूर्व उत्तीर्ण की हो।
   (iii) प्रवेशार्थी की आयु 01 जुलाई, 2020 को 22 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
   (iv) उत्तर प्रदेश के बाहर के राज्यों के अधिकतम 5 प्रतिशत छात्रों को श्रेष्ठता के आधार पर प्रवेश दिया जायेगा।
   (v) अन्य राज्य कटेगरी के अन्तर्गत उन्हें माना जायेगा जो जन्म से यू0पी0 के बाहर के स्थायी निवासी है (उनके स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र में स्थायी पता अन्य प्रान्त का हो या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा निर्गत अन्य प्रान्त का डोमिसाइल हो)। **जो अभ्यर्थी किसी अन्य प्रान्त में अध्ययन कर रहे हैं उन्हें यू0पी0 का मूल निवासी होने की स्थिति स्पष्ट करने के लिए फरवरी, 2018 के बाद का प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट का डोमिसाइल (मूल निवास प्रमाण–पत्र) संलग्न करना आवश्यक होगा।**
   (vi) यदि अभ्यर्थी गतवर्ष में प्रवेश परीक्षा के माध्यम से स्नातक कक्षाओं में प्रवेश ले चुका है और अनुत्तीर्ण हुआ है या कम उपस्थिति के कारण परीक्षा में बैठने से रोका गया है अथवा उसके विरूद्ध महाविद्यालय

द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है, वे अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिये अर्ह नहीं होंगे। इसके साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि बैक पेपर से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के अतिरिक्त किसी भी अभ्यर्थी का प्रवेश 30 सितम्बर के पश्चात् न लिया जाय।

आरक्षण (Reservation)

सभी पाठ्यक्रमों के अभ्यर्थियों को आरक्षण सुविधा उ0प्र0 शासन के नवीनतम आदेशों के अनुसार अनुमन्य होगी।

श्रीणी/वर्ग : सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग से सम्बन्धित अभ्यर्थियों को स्वीकृत स्थान में निम्न अनुपात में आरक्षण दिया जायेगा। **आरक्षण का लाभ केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा जो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी हैं।** इस हेतु उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र प्रवेश के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(अ)	अनुसूचित जाति से सम्बन्धित अभ्यर्थियों के लिए	21 प्रतिशत
(ब)	अनुसूचित जनजाति	02 प्रतिशत
(स)	अन्य पिछड़ा वर्ग	27 प्रतिशत
(द)	आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लिए	10 प्रतिशत

नोटः– अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 01 अगस्त, 2017 के पूर्व निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

उपश्रेणी/उपवर्ग

1. सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु उदय प्रताप शिक्षा समिति द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं के स्थायी शिक्षकों/कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री के लिए **5 प्रतिशत** स्थान आरक्षित होगी। आरक्षण में प्राथमिकता का क्रम इस प्रकार होगा– 1. सेवारत स्थायी अध्यापक एवं कर्मचारी, 2. सेवाकाल के दौरान मृत स्थायी अध्यापक एवं कर्मचारी, 3. सेवानिवृत्त स्थायी अध्यापकों/कर्मचारियों एवं प्रबन्धकीय व्यवस्था के अन्तर्गत कार्यरत अध्यापकों/कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री। आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए प्राचार्य/प्रधानाचार्य द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र प्रवेश के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
2. आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए सम्बन्धित क्षेत्र के तहसीलदार से अनिम्न अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
3. स्नातक स्तर के सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु जनपद/मण्डल/राज्य/राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के लिए **3 प्रतिशत** स्थान आरक्षित हैं। स्पोर्टस कोटा में चयन के लिए अभ्यर्थी का **इण्टरमीडिएट स्तर का खेलकूद प्रमाण पत्र** ही मान्य होगा। खिलाड़ी कोटे में फिटनेस/ट्रायल के पश्चात् प्रवेश दिया जायेगा। महात्मागॉधी काशी विद्यापीठ द्वारा निर्धारित खेलों में ही अभ्यर्थियों का चयन किया जायेगा जैसेः– (तैराकी, तीरंदाजी, बैडमिन्टन, बास्केबाल, मुक्केबाजी, शतरंज, क्रिकेट, क्रास–कण्ट्री, फुटबाल, जिम्नास्टिक, हैण्डबाल, हॉकी, जूडा, कबड्डी, खो–खो, किक–बाक्सिंग, नेटबाल, पावल लिफ्टिंग, पिस्टल शूटिंग, रग्बी, टेबुल टेनिस, ताइकाण्डो, Tug of War, वालीबाल, रेसलिंग, वुशु, वेट लिफ्टिंग, बेस्ट फिजिक्क एवं योगा)। ट्रायल में अनुपस्थित अभ्यर्थियों को खिलाड़ी कोटे में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। **ऐसे अभ्यर्थियों को भी प्रवेश परीक्षा में बैठना अनिवार्य है।**

उपरोक्तानुसार आरक्षण के अतिरिक्त निम्नलिखित श्रेणी के अभ्यर्थियों को क्षैतिज प्रकृति का आरक्षण भी लागू होगा।

क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation)

(क)	स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए	प्रत्येक पाठ्यक्रमानुसार समस्त प्रवेश सीटों का अधिकतम 2 प्रतिशत।
(ख)	उत्तर प्रदेश के सेवानिवृत्त अथवा अपंग रक्षा कर्मियों अथवा युद्ध में मारे गये रक्षा कर्मियों अथवा उत्तर प्रदेश में तैनात रक्षा कर्मियों के पुत्र–पुत्रियों को।	प्रत्येक पाठ्यक्रमानुसार समस्त प्रवेश सीटों का अधिकतम 5 प्रतिशत।

(ग)	शारीरिक रूप से निःशक्तजनों के लिए	प्रत्येक पाठ्यक्रमानुसार समस्त प्रवेश सीटों का अधिकतम 3 प्रतिशत।
(घ)	महिलाओं के लिए	प्रत्येक पाठ्यक्रमानुसार समस्त प्रवेश सीटों का अधिकतम 20 प्रतिशत।

नोट :– आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा फार्म आवेदन पत्र पर निर्दिष्ट स्थान पर उल्लेख करें। इसके अभाव में आरक्षण का लाभ देना सम्भव नहीं होगा।

अधिभार (Weightage)

	अधिभार के प्रकार	अधिभार अंक
A.	उदय प्रताप शिक्षा समिति द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं से इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण/सम्मिलित हुए अभ्यर्थियों के लिए।	05
B.	एन.सी.सी. **(बी)** प्रमाण–पत्र/ एन.सी.सी. **(सी)** प्रमाण–पत्र परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए।	03/05
C.	स्काउट एवं गाइड से सम्बन्धित किसी शिविर में भाग लिए हुए अथवा प्रशिक्षण प्राप्त लिए हुए अभ्यर्थियों के लिए।	02
D.	उदय प्रताप कालेज के प्राचीन छात्र एसोसिएशन के सदस्यों के पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी/सगा भाई/सगी बहन के लिए।	05
	अधिकतम देय अधिभार अंक	**10**

नोटः– अधिभार से सम्बन्धित सभी प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रति आवेदन के समय अपलोड करना अनिवार्य होगा। इसके अभाव में अधिभार देय नहीं होगा।

प्रवेश नियम (Entrance Rules)

1. किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु योग्यताक्रम का निर्धारण अभ्यर्थी के संगणित अंक के आधार पर किया जायेगा।

   संगणित अंक = प्रवेश परीक्षा प्राप्तांक + अधिभार अंक (यदि कोई हो)

2. सभी पाठ्यक्रमों में उपलब्ध कुल सीटों की संख्या के आधार पर मुख्य सूची एवं प्रतीक्षा सूची अलग–अलग बनाई जायेगी। इन सूचियों को प्रवेश परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथियों पर (जैसा महत्वपूर्ण तिथियों में दिया गया है) कालेज बेवसाइट, सूचना पट्ट तथा स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जायेगा।
3. किसी भी पाठ्यक्रम के लिए चयनित अभ्यर्थियों को अलग से सूचना नहीं भेजी जायेगी। प्रवेश सम्बन्धी सूचना के लिए अभ्यर्थियों को कालेज बेवसाइट, सूचना पट्ट अथवा प्रवेश परीक्षा कार्यालय में सम्पर्क करना होगा।
4. चयनित अभ्यर्थियों के काउंसिलिंग की तिथि, दिन एवं समय की सूचना इसी विवरणिका में दी गयी हैं।
5. काउंसिलिंग की निर्धारित तिथि एवं समय पर छात्र के उपस्थित न रहने पर उस छात्र का प्रवेश हेतु दावा रद्द कर दिया जायेगा और उसके स्थान पर अन्य अभ्यर्थी को प्रवेश दे दिया जायेगा।
6. प्रवेश के समय अभ्यर्थियों को आधार कार्ड की छायाप्रति प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

7. प्रतीक्षा सूची से छात्रों का प्रवेश स्थान उपलब्ध रहने पर ही योग्यता क्रम से किया जायेगा। उन्हें प्रतीक्षा सूची में प्रवेश हेतु दी गई तिथि एवं समय पर उपस्थित रहना अनिवार्य होगा।
8. जिस अभ्यर्थी का अर्ह परीक्षा का परीक्षाफल किसी भी कारण से प्रवेश काउन्सिलिंग की तिथि तक घोषित नहीं हुआ है वह किसी भी अवस्था में प्रवेश पाने का अधिकारी नहीं होगा।
9. प्रवेश परीक्षा समिति द्वारा घोषित परिणाम अंतिम होगा। OMR के पुनर्मूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं है।
10. यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत कोई भी अभिलेख या घोषणा आदि उसके कालेज के अध्ययनकाल के दौरान असत्य पाई गई तो उसका प्रवेश तुरन्त निरस्त कर दिया जायेगा और उसपर कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी।
11. कोई भी अभ्यर्थी जो अपने अध्ययन काल में छात्र के रूप में किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता अथवा परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए, पिछली संस्था से दण्डित हुआ है, वह इस विद्यालय में प्रवेश के योग्य नहीं है। यदि कोई अभ्यर्थी उक्त तथ्यों को छिपाकर या संयोजक प्रवेश समिति की त्रुटि से प्रवेश पा जाता है तो पता लगने पर उसका प्रवेश तुरन्त निरस्त कर दिया जायेगा।
12. वे अभ्यर्थी जो परीक्षा में बैठने के पात्र नहीं है और फिर भी प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होते हैं, वे किसी भी प्रकार से प्रवेश के दावेदार नहीं होंगे तथा उनका शुल्क वापस नहीं होगा।
13. प्रवेश काउन्सिलिंग के लिए बुलाये गये अभ्यर्थियों को प्रवेश परीक्षा हेतु जारी किया गया मूल प्रवेश पत्र अपने साथ लाना आवश्यक होगा।
14. प्रवेश परीक्षाफल की घोषणा के बाद अभ्यर्थी अपनी कक्षाओं के लिए निर्धारित प्रवेश समिति के समक्ष काउन्सिलिंग के लिए निर्धारित तिथि पर अपने समस्त मूल प्रमाण–पत्र एवं शैक्षणिक शुल्क के साथ उपस्थित होंगे। काउन्सिलिंग के उपरान्त प्रवेश समिति की संस्तुति पर ही प्रवेश दिया जायेगा। प्रमाण–पत्रों या शुल्क की अनुपलब्धता की स्थिति में प्रवेश का दावा निरस्त कर दिया जायेगा।
15. प्रवेश से सम्बन्धित समस्त निर्णय प्रवेश समिति का होगा, जिसकी संस्तुति पर ही अभ्यर्थी प्रवेश पा सकेंगे।
16. छात्रों का पूर्ण शुल्क केवल एक ही किश्त में जमा होगा।
17. किसी भी अभ्यर्थी को बिना कारण बताये अथवा बिना पूर्व सूचना के प्रवेश न करने अथवा प्रवेश निरस्त करने का तथा प्रवेश से सम्बन्धित अन्य समस्त अधिकार प्राचार्य के पास सुरक्षित रहेगा।

स्नातक विषय सम्बन्धित सूचनाएं

स्नातक स्तर पर सभी पाठ्यक्रम तीन वर्ष के हैं। बी.एस–सी (कृषि) का पाठ्यक्रम चार वर्ष का है तथा इसमें सेमेस्टर प्रणाली लागू है। प्रत्येक छात्र को स्नातक स्तर पर दो अनिवार्य विषयों (1) राष्ट्रीय गौरव एवं भारतीय चिन्तन एवं (2) पर्यावरण विज्ञान का अध्ययन करना तथा उन्हें उत्तीर्ण करना अनिवार्य है।

कला वर्ग (कुल स्थान 400 +30)=430

प्रवेशार्थी निम्नलिखित में से किन्ही तीन विषयों का चुनाव नीचे लिखें प्रतिबन्धों को दृष्टि में रखते हुए कर सकता है–

1. हिन्दी,	2. संस्कृत	3. अंग्रेजी
2. मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास	5. प्राचीन इतिहास	6. भूगोल,
7. अर्थशास्त्र	8. समाजशास्त्र	9. राजनीति विज्ञान
10. मनोविज्ञान	11. गणित	12. सांख्यिकी
13. रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन	14. पर्यटन एवं यात्रा प्रबन्धन।	

नोटः– विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पर्यटन एवं यात्रा प्रबन्धन विषय को व्यावसायिक विषय के रूप में स्वीकृति प्रदान की है। इस विषय की कुल 30 सीटें हैं, इस विषय को लेने वाले छात्रों को स्नातक स्तर पर तीनों वर्ष पढ़ना अनिवार्य है। इस विषय के छात्रों को सामान्य शुल्क के अतिरिक्त रू0 2000/– प्रति छात्र/वार्षिक शुल्क देना होगा तथा शैक्षणिक पर्यटन पर जाना अनिवार्य होगा।

प्रतिबन्ध–

1. निम्नलिखित विषय एक साथ नहीं लिए जा सकतेः–
   (1) अंग्रेजी व संस्कृत
   (2) मनोविज्ञान व प्राचीन इतिहास
   (3) समाज शास्त्र व राजनीति शास्त्र
   (4) मनोविज्ञान व रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन
   (5) भूगोल, मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास तथा प्राचीन इतिहास
2. पर्यटन एवं यात्रा प्रबन्धन विषय के साथ निम्न दो समूहों में से एक–एक विषय लेना अनिवार्य हैः–
   समूह –अ भूगोल, इतिहास एवं प्राचीन इतिहास
   समूह –ब अर्थशास्त्र एवं अंग्रेजी
3. सांख्यिकी एवं गणित दोनो विषय एक साथ लेना अनिवार्य है और इन दो विषयों के साथ तीसरे विषय के रूप में केवल अर्थशास्त्र, भूगोल और मनोविज्ञान में से कोई एक विषय लिया जा सकता है।
4. महाविद्यालय की समय–सारिणी के अनुसार वैकल्पिक विषयों के चुनाव में और भी प्रतिबन्ध लगाए जा सकते हैं।

वाणिज्य वर्ग (कुल स्थान 95+30)=125

समूह (अ) एकाउन्टेंसी एवं सांख्यिकी एवं प्रबन्ध के सिद्धान्त

समूह (ब) व्यावसायिक संगठन एवं प्रबन्ध के सिद्धान्त

समूह (स) आर्थिक सिद्धान्त मुद्रा बैंकिंग और विनिमय

समूह (द) कर प्रक्रिया एवं पद्धति

नोट– समूह अ और ब अनिवार्य है तथा समूह स और द में से कोई एक समूह लिया जा सकता है। यू.जी.सी. ने कर प्रक्रिया एवं पद्धति विषय को व्यावसायिक विषय के रूप में स्वीकृति प्रदान की है। इस विषय की कुल

30 सीटें है। इस विषय को लेने वाले छात्रों को स्नातक स्तर पर तीनों वर्ष पढ़ना अनिवार्य है। इस विषय के छात्रों को सामान्य शुल्क के अतिरिक्त रू0 2000/– प्रति छात्र/वार्षिक देना होगा।

विज्ञान वर्ग

(अ) गणित वर्ग : कुल स्थान– 300

नीचे दिये विषयपुंजो में से एक विषयपुंज लिया जा सकता है।

1. भौतिकी, गणित, रसायनशास्त्र
2. भौतिकी, गणित, रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन
3. भौतिकी, गणित, सांख्यिकी
4. गणित, सांख्यिकी, भूगोल
5. गणित, सांख्यिकी, मनोविज्ञान
6. गणित, सांख्यिकी, अर्थशास्त्र

(ब) जीव विज्ञान वर्ग : कुल स्थान –300

7. वनस्पति विज्ञान, प्राणि विज्ञान, रसायन शास्त्र
8. वनस्पति विज्ञान, प्राणि विज्ञान, रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन

नोटः– गणित वर्ग में भौतिकी, गणित एवं कम्प्यूटर विज्ञान तथा जीव विज्ञान वर्ग में वनस्पति विज्ञान/जन्तु विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं बायोटेक्नालाजी विषय समूह प्रस्तावित हैं जिसमें चयन प्रवेश परीक्षा की मेरिट सूची पर आधारित होगा एवं इसके लिए अतिरिक्त शुल्क देय होगा।

कृषि वर्ग (कुल स्थान–150)

सभी विषय पढ़ना अनिवार्य है। इस वर्ग में सेमेस्टर पद्धति लागू हैं, जिसकी विस्तृत सूचना अधिष्ठाता कृषि संकाय कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

नोटः– प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् विषय परिवर्तन सम्भव नहीं है। सभी पाठ्यक्रमों में शासन के निर्देशानुसार सीटों की संख्या घट–बढ़ सकती है।

डी0सी.0ए0/पी0जी0डी0सी0ए0

स्नातक के छात्रों के लिए एक वर्षीय डी.सी.ए. पाठ्यक्रम की व्यवस्था हैं, जिसमें विद्यालय का कोई भी छात्र प्रवेश ले सकता है। पी.जी.डी.सी.ए. स्नातक डिग्री प्राप्त छात्र/छात्रा ही प्रवेश ले सकते हैं। पी.जी.डी.सी.ए. में प्रवेश स्नातक कक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर होगा।

Career Oriented Course:

यू.जी.सी. द्वारा अनुदानित कैरियर ओरिएण्टेड पाठ्यक्रम के अन्तर्गत बायोटेक्नालाजी, इन्फारमेशन एण्ड कम्प्यूटर टेक्नालाजी एवं इंश्योरेंश में डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित है। स्नातक स्तर के छात्र/छात्राएँ स्नातक पाठ्यक्रम के साथ–साथ कर सकते हैं।

स्नातक प्रवेश परीक्षा योजना

(Under Graduate Entrance Examionation Plan)

सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु परीक्षा दो घण्टे की होगी तथा प्रश्नपत्र में कुल 150 प्रश्न होंगे। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के तथा एक–एक अंक के होंगे। सभी प्रश्न करना अनिवार्य होगा। प्रश्न पत्र हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगा (भाषा को छोड़कर)। विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रश्नों का विवरण निम्नलिखित हैः–

कला वर्ग में प्रवेश हेतु

इस वर्ग के समस्त परीक्षार्थियों के लिए केवल एक प्रश्नपत्र होगा। प्रश्न पत्र में हिन्दी, अंग्रेजी, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, नागरिक शास्त्र, इतिहास, सामान्य ज्ञान से सम्बन्धित कुल 150 प्रश्न होंगे।

विज्ञान वर्ग में प्रवेश हेतु

गणित वर्ग के परीक्षार्थियों के लिए – भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र एवं गणित से सम्बन्धित कुल 150 प्रश्न तथा जीव विज्ञान वर्ग के परीक्षार्थियों के लिए– जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं रसायन शास्त्र से सम्बन्धित कुल 150 प्रश्न होंगे।

वाणिज्य वर्ग में प्रवेश हेतु

इस वर्ग के परीक्षार्थियों के लिए बही खाता एवं लेखाशास्त्र–50, व्यवसायिक संगठन–50, मुद्रा एवं बैंकिंग, व्यवसायिक अर्थशास्त्र एवं भूगोल, व्यवसायिक गणित–50 से सम्बन्धित कुल 150 प्रश्न होंगे।

बी.एस–सी (कृषि) में प्रवेश हेतु :– कुल 150 प्रश्न होंगे।

1. मानसिक अभिक्षमता	10
2. रसायन विज्ञान	20
3. भौतिकी एवं गणित (20+20)	40
4. वनस्पति एवं प्राणिशास्त्र (20+20)	40
5. कृषि विज्ञान (विज्ञान के अतिरिक्त)	40

स्नातकोत्तर प्रवेश सम्बन्धी सूचनाएँ

(Information Regarding Post Graduate Entrance Examination)

स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश हेतु नियमावलीः

पात्रताः (Elegibility):

1. कक्षा में किसी भी विषय में प्रवेश हेतु वे ही छात्र/छात्रा अर्ह होंगे जिन्होंने स्नातक अंतिम वर्ष में वह विषय लिया हो जिसमें वे प्रवेश लेना चाहते हैं।
2. स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा वे छात्र भी दे सकते हैं जो स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं परन्तु प्रवेश के समय परीक्षा परिणाम घोषित होना अनिवार्य होगा तथा स्नातक स्तर के सभी वर्षो/सेमेस्टरों स्नातकोत्तर का मूलअंक पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

3. वर्ष 2018 के पूर्व स्नातक/समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी किसी भी स्नातकोत्तर कक्षा में 2020–21 में प्रवेश हेतु पात्र नहीं होंगे।
4. स्नातकोत्तर बनस्पति विज्ञान एवं प्राणि विज्ञान में प्रवेश हेतु वे ही छात्र/छात्रा अर्ह होंगे जिन्होंने स्नातक स्तर पर रसायन विज्ञान का अध्ययन किया हो।

5. निर्णय लिया गया कि यदि अभ्यर्थी गतवर्ष में प्रवेश परीक्षा के माध्यम से स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश ले चुका है और अनुत्तीर्ण हुआ है या कम उपस्थिति के कारण परीक्षा में बैठने से रोका गया है अथवा उसके विरूद्ध महाविद्यालय द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है, वे प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिये अर्ह नहीं होंगे। इसके साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि बैक पेपर से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के अतिरिक्त किसी भी अभ्यर्थी का प्रवेश 30 सितम्बर के पश्चात् न लिया जाय।

स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा योजनाः (Post Graduate Entrance Examination Plan):

1. अभ्यर्थी स्नातक स्तर पर अंतिम वर्ष में लिए गये विषय/विषयों में ही प्रवेश परीक्षा दे सकते हैं। कृषि एवं वाणिज्य कक्षाओं में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी कृषि एवं वाणिज्य स्तर के सभी विषयों में प्रवेश परीक्षा देंगे।
2. प्रवेश परीक्षा के प्रत्येक विषय के प्रश्नपत्र में 100 वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा तथा परीक्षा अवधि दो घण्टे की होगी।
3. सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे तथा प्रश्न पत्र हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषाओं में होंगे (भाषा को छोड़कर) वनस्पति विज्ञान, जन्तु विज्ञान, रसायन शास्त्र, गणित, सांख्यिकी एवं भौतिकी के प्रश्न केवल अंग्रेजी भाषा में होंगे।
4. आवेदन पत्रों की संख्या निर्धारित प्रवेश स्थानों के दो गुने से कम होने पर उस विषय में प्रवेश परीक्षा का आयोजन नहीं किया जायेगा तथा प्रवेश परीक्षा शुल्क भी वापस नहीं होगा। ऐसी दशा में विभागाध्यक्ष/संकायाध्यक्ष अर्हकारी परीक्षा के आधार पर योग्यताक्रम के अन्य सभी नियमों का अनुपालन करते हुए प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों का चयन करेंगे।

नोटः स्नातकोत्तर स्तर पर सभी विषयों में सेमेस्टर पद्धति लागू है।

प्रवेश नियमः

1. आरक्षण का लाभ शासन के नियमानुसार अर्थात 27% OBC, 21% SC, 2% ST एवं 10% EWS के लिए होगा। अगर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की संख्या आरक्षित सीट से कम होती है या अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा नहीं देते हैं तो रिक्त स्थानों पर अन्य अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जायेगा। आरक्षण का लाभ केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा जो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी हैं।
2. सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु उदय प्रताप शिक्षा समिति द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं के स्थायी शिक्षकों/कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री के लिए **5 प्रतिशत स्थान आरक्षित** होगा। आरक्षण में प्राथमिकता का क्रम इस प्रकार होगा– 1. सेवारत स्थायी अध्यापक एवं कर्मचारी, 2. सेवाकाल के दौरान मृत स्थायी अध्यापक एवं कर्मचारी, 3. सेवानिवृत्त स्थायी अध्यापकों/कर्मचारियों एवं प्रबन्धकीय व्यवस्था के अन्तर्गत कार्यरत अध्यापकों/कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री। आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए प्राचार्य/प्रधानाचार्य द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र प्रवेश के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

अधिभारः (Weightage):

1. उदय प्रताप कालेज, वाराणसी के छात्रों हेतु	05
2. प्राचीन छात्र एसोसिएशन, उदय प्रताप कालेज वाराणसी के सदस्यों के पुत्र/पुत्री/ सगा भाई/सगी बहन	05
3. NCC (B) प्रमाण पत्र/NCC (C) प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण	03/05
4. NSS एक कैम्प / NSS दो कैम्प	03/05

5. खिलाड़ियों हेतु–
   (अ) स्नातक कक्षा में प्रदेश स्तरीय अथवा अखिल भारतीय स्तर एवं अन्तर विश्वविद्यालय के खिलाड़ी हेतु। 05
   (ब) अन्तर महाविद्यालयीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले अभ्यर्थी के लिए 03
6. दिब्यांग 03
7. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित (जिलाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा) 03

नोटः 1. **किसी भी दशा में अधिकतम अधिभार 15 अंक से अधिक देय नहीं होगा।**

2. दिव्यांग श्रेणी में न्यूनतम 40 प्रतिशत की विकलांगता पर ही अभ्यर्थी को अधिभार देय होगा।

Career Orienented Course: स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों के लिए कालेज में निम्न तीन पाठ्यक्रम संचालित हैंः–

1. P.G.D.C.A. (Post Graduate Diploma in Computer Application)
2. Post Graduate Diploma in Environmental Science
3. Post Graduate Diploma in Plant Protection (केवल कृषि स्नातक हेतु)

स्नातकोत्तर स्तर पर विषयवार उपलब्ध स्थानः

कला एवं वाणिज्य संकायः

विषय	सीटो की संख्या
वाणिज्य	35
हिन्दी	60
अर्थशास्त्र	60
भूगोल	30
समाज शास्त्र	60
प्राचीन इतिहास	60
राजनीति शास्त्र	60

विज्ञान संकायः

विषय	सीटो की संख्या
रसायन विज्ञान	25
भौतिक विज्ञान	25
प्राणि विज्ञान	25
वनस्पति विज्ञान	25
गणित	60
सांख्यिकी	25

कृषि संकायः

विषय	सीटो की संख्या
उद्यान विज्ञान	15
कृषि अर्थशास्त्र	15
पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान	08
कृषि रसायन एवं मृदा विज्ञान	15

विषय कोड **(OMR)** पर अंकित करने हेतुः

PG- SUBJECT CODE

विषय	विषय कोड
कृषि	10

विषय	विषय कोड
वाणिज्य	20

विषय	विषय कोड
रसायन विज्ञान	30
भौतिक विज्ञान	31
प्राणि विज्ञान	32
वनस्पति विज्ञान	33
गणित	34
सांख्यिकी	35

विषय	विषय कोड
हिन्दी	40
अर्थशास्त्र	41
भूगोल	42
समाज शास्त्र	43
प्राचीन इतिहास	44
राजनीति शास्त्र	45

महाविद्यालय के सामान्य नियम

1. महाविद्यालय की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए प्रत्येक विषय में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। नोटः– अस्वस्था की स्थिति में उचित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर अधिकतम 10 प्रतिशत एवं विशेष परिस्थितियों में समुचित कारण बताने पर 05 प्रतिशत की छूट दी जा सकती है। किसी भी परिस्थिति में 60 प्रतिशत से कम उपस्थिति वाले छात्र/छात्रा को परीक्षा से वंचित कर दिया जायेगा।
2. प्रत्येक छात्र/छात्रा को अनुशासित सचेष्ट तथा सतर्क रूप में आचरण करना होगा। कक्षा में समय से आना, शान्ति बनाये रखना, प्रत्येक छात्र/छात्रा की प्राथमिकता होगी।
3. प्रत्येक छात्र/छात्रा को अपना परिचय पत्र सदैव साथ रखना होगा जो किसी भी अध्यापक या प्राक्टर द्वारा कभी भी मॉगा जा सकता है।
4. प्रत्येक छात्र/छात्रा को शालीन वस्त्र पहन कर आना होगा। छात्रों को ढीला पैण्ट शर्ट तथा छात्राओं को ढीली सलवार समीज पहनना अनिवार्य है।
5. निजी वाहन से विद्यालय आने वाले छात्र/छात्राओं को अपना वाहन स्टैण्ड पर रखना अनिवार्य है। इसके लिए उन्हें रू0 50.00 वार्षिक शुल्क देना होगा। वाहन अन्यत्र रखने पर रू0 100.00 अर्थदण्ड देना होगा।
6. महाविद्यालय के सभी शुल्कों का समय से भुगतान करना प्रत्येक विद्यार्थी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। किसी भी विद्यार्थी को वार्षिक परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र तभी दिया जायेगा जब वह महाविद्यालय के सभी शुल्क (छात्रावास, सहकारी समिति, दुग्धशाला) जमा कर देगा तथा सभी सम्बन्धित विभागों एवं पुस्तकालय से अदेय प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लेगा।
7. महाविद्यालय के नियमों का उल्लंघन करने, लगातार अनुपस्थित रहने, शान्ति व्यवस्था भंग करने तथा अन्य अनियमितताओं में शामिल होने के कारण विद्यार्थी को विद्यालय से कभी भी निष्कासित किया जा सकता है।
8. महाविद्यालय के सभी मुख्य उत्सवों में केसरिया साफा बाँधना अनिवार्य है।
9. महाविद्यालय को अन्तिम रूप से छोड़ने के 6 माह के पश्चात् तथा 18 माह के भीतर ही किसी भी विद्यार्थी को अवधान मुद्रा देय होगी।
10. विद्यालय से किसी प्रकार की वित्तीय सुविधा (निःशुल्कता, छात्रवृत्ति आदि) प्राप्त करने वाले छात्र/छात्रा की प्रगति असंतोषजनक रहने पर उन्हें उक्त सुविधा से वंचित कर दिया जायेगा।
11. यदि कोई छात्र/छात्रा प्रवेश लेने के पश्चात् मध्य सत्र में ही किसी अन्य जगह प्रवेश लेना चाहता है तो उसे सभी बकाया शुल्कों का भुगतान करना होगा और महाविद्यालय द्वारा प्रदत्त वस्तुओं तथा वित्तीय सुविधाओं को वापस करना होगा।
12. चेचक व अन्य संक्रामक बीमारियों से बचाव हेतु टीका लगवाना अनिवार्य होगा।
13. किसी छात्र/छात्रा के प्रवेश को रखने या निरस्त करने का सर्वाधिकार प्राचार्य के पास सुरक्षित है

छात्रावास के सामान्य नियम

महाविद्यालय में चार छात्रावास हैं जिनमें तीन छात्रों तथा एक छात्राओं के लिए है। छात्रावास में प्रवेश हेतु विद्यालय में प्रवेश पाने के बाद जमा शुल्क की रसीद प्रस्तुत करने पर प्रवेशार्थी को मुख्य गृहपति कार्यालय से प्रवेश के लिए अलग से आवेदन पत्र भरना होगा। छात्रों का चयन मेरिट के आधार पर साक्षात्कार द्वारा किया जायेगा। छात्रावास में रहने वाले छात्रों को एक छात्रावास परिचय–पत्र रखना होगा।

1. छात्रावास में प्रवेश पाने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को एक गद्दा या दरी, चादरें, टेबुल क्लाथ, तकिया, लोटा, गिलास, कटोरिया एवं थाली लाना होगा। छात्रावास का अग्रिम धन रू0 8000.00 मात्र विद्यालय की सहकारी समिति में जमा करना होगा। अग्रिम धन सत्रान्त में या कालेज छोड़ते समय तथा अवधान मुद्रा, छात्रावास छोड़ने के छः माह बाद लौटाई जायेगी।
2. छात्रावास के प्रत्येक विद्यार्थी को खेल, व्यायाम आदि में भाग लेना अनिवार्य है।
3. कोई भी छात्र बिना अपने गृहपति की लिखित आज्ञा के छात्रावास के बाहर नहीं जा सकता है। इस नियम का उल्लंघन करना दण्डनीय है।
4. कालेज परिसर या छात्रावास के किसी कर्मचारी, अधिकारी या विद्यार्थी के साथ दुर्व्यवहार करने पर अथवा अनुशासन सम्बन्धी किसी अवांछनीय क्रिया–कलाप में भाग लेने पर छात्र को छात्रावास और महाविद्यालय से निष्कासित कर दिया जायेगा।
5. प्रत्येक विद्यार्थी को अपने पिता या अभिभावक का पूरा पता तथा फोन नम्बर अपने गृहपति को देना होगा। प्रत्येक छात्र की पढ़ाई और मासिक व्यय पर गृहपति का पूरा नियंत्रक और निरीक्षण रहेगा। इस सम्बन्ध में गृहपति द्वारा समय–समय पर जारी किये गये नियमों और आदेशों का पूरा पालन करना होगा।
6. प्रत्येक छात्र को प्रतिमाह का भोजनालय सम्बन्धी व्यय का भुगतान अगले माह के 15 तारीख तक सहकारी समिति में कर देना होगा। 15 तारीख तक भोजनालय देय न जमा करने पर छात्र को भोजनालय में भोजन से वंचित किया जा सकता है।
7. छात्रावास में अतिथियों को अपने साथ रखने की अनुमति नहीं है। केवल छात्र के पिता या अभिभावक ही गृहपति की अनुमति से रूक सकते है।
8. किसी भी छात्र द्वारा बिना प्राचार्य के अनुमति से किसी भी बाहरी चिकित्सक को छात्रावास में उपचारार्थ बुलाना मना है।
9. सामान्यतः किसी भी विद्यार्थी को छात्रावास छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। परन्तु कोई छोड़ना ही चाहता है तो उसके अभिभावक को कम से कम 15 दिन पूर्व इस हेतु प्राचार्य के यहां प्रार्थना पत्र देना होगा। उसे उस माह के अतिरिक्त अगले तीन माह का पूरा छात्रावास शुल्क भी देना होगा।
10. छात्रावास के भीतर किसी प्रकार का वाद्ययन्त्र रखना और बजाना सख्त माना है। छात्रों को अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं व अधिक रूपया पैसा रखना भी मना है। वे गृहपति के पास रख सकते हैं।
11. कोई भी विद्यार्थी छात्रावास में बड़ा चाकू, गुप्ती या किसी प्रकार का हथियार नहीं रख सकता है। प्राचार्य, मुख्य गृहपति या गृहपति को अधिकार है कि वे किसी भी छात्र की तलाशी ले सकते हैं। इस प्रकार के हथियारों के पाए जाने पर छात्र को महाविद्यालय से निकाल दिया जायेगा। प्राचार्य द्वारा छात्रावास की निगरानी हेतु विशेष निगरानी समिति का गठन किया जाएगा। इस समिति की गुप्त रिपोर्ट पर अनुशासनहीन छात्रों को दण्डित किया जायेगा।
12. छात्रावास के भीतर किसी भिखारी, इन्द्रजालिक, धर्मनीति प्रचारक आदि को बुलाना तथा प्रोत्साहन देना एवं किसी प्रकार की गोष्ठी सभा या समारोह का आयोजन बिना गृहपति की अनुमति से करना मना है।
13. छात्रावास में हीटर रखना, दिन में तथा निर्धारित समय के बाद बिजली जलाना, कमरे के भीतर कोई खाने पीने का सामान तैयार करना पूर्णतः वर्जित है। इसका उल्लंघन करने पर छात्रावास तथा विद्यालय से निष्कासित किया जा सकता है।
14. छात्रावास का कोई भी सामान तोड़ने उसे क्षति पहुॅचाने या दूसरे स्थानों पर ले जाने पर छात्र को उसकी पूरी कीमत चुकानी होगी तथा ऐसा करना अनुशासनहीनता मानते हुए उचित कार्यवाही की जायेगी।
15. अन्तर्छात्रावास प्रतियोगिता में प्रत्येक छात्रावास के छात्रों को भाग लेना अनिवार्य है। इससे छूट के लिए केवल विद्यालय चिकित्सक का प्रमाण–पत्र ही मान्य होगा।

16. जो छात्र विद्यालय के निर्धारित पाठ्यक्रम को त्याग कर अन्यत्र कोचिंग संस्थान में जायेगा उसे छात्रावास से सत्र के मध्य में ही निकाल दिया जायेगा।
17. छात्रावास में गत वर्ष रह चुके उसी छात्र को प्रवेश दिया जायेगा जो गत वर्ष की परीक्षा में कम से कम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त किया हो तथा जिसका नाम काली सूची में न हो। अनुशासनहीन छात्र को छात्रावास में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
18. प्रथम बार छात्रावास में प्रवेश लेने वाले छात्र को प्रवेश परीक्षा में प्राप्त मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जायेगा। अनुशासनप्रिय छात्र को ही छात्रावास में प्रवेश दिया जायेगा।
19. अनुत्तीर्ण/बैक परीक्षा से उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को छात्रावास की सुविधा नहीं प्रदान की जायेगी।
20. छात्रावास में मोटरसाइकिल रखना प्रतिबन्धित होगा।

महाविद्यालय में उपलब्ध सुविधाएं

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अध्ययन केन्द्र

महाविद्यालय के कला भवन के कक्ष संख्या–एक में यह केन्द्र स्थित है। इस अध्ययन केन्द्र पर बी.ए., बी. काम., बी0एस–सी. बी.एल.आई.एस.सी., बी.सी.ए., बी.टी.एस., एम.बी.ए., एम.सी.ए., एम.टी.एम., बी.एड. तथा अन्य डिप्लोमा व प्रमाण–पत्र के विषयों के शिक्षण की व्यवस्था पत्राचार द्वारा की गई है। इस संस्था के पाठ्यक्रम का अध्ययन अन्य कार्य करते हुए भी किया जा सकता है। विशेष विवरण के लिए उपरोक्त अध्ययन केन्द्र में 11 से 3 बजे तक सम्पर्क किया जा सकता है।

भारतीय भाषा केन्द्र

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 13 भारतीय भाषाओं (तमिल, तेलगु, मलयालम, कन्नड़, गुजराती, उड़िया, बंगला, मराठी, असमी, पंजाबी, सिन्धी, कश्मीरी और नेपाली) के निःशुल्क शिक्षण हेतु इस केन्द्र की स्थापना की गयी है। इसमें शिक्षण का समय सायं 5 से 7 बजे तक निर्धारित है। शिक्षण के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी के लिए इसके कार्यालय में सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है। यह सुविधा प्रदेश के केवल पॉच महाविद्यालयों को ही प्राप्त है।

पुस्तकालय

महाविद्यालय के केन्द्रीय पुस्तकालय में सभी विषयों की लगभग 1,20,000 पुस्तकें संग्रहीत है। पुस्तकालय विद्यार्थियों के लिए प्रातः 8 बजे से रात्रि 8.00 बजे तक खुला रहता है। पुस्तकालय में देश–विदेश की शोध–पत्रिकायें पर्याप्त संख्या में मॅगाई जाती है। शोध–प्रबन्ध एवं शोध पुस्तिकाओं के वाचन की सुविधाएं उपलब्ध है। पुस्तकालय में ही बुक बैंक भी स्थापित हैं, जिससे सत्र भर के लिए पाठ्य पुस्तकें दी जाती हैं।

एन0सी0सी0

सभी संस्थाओं में एन.सी.सी. के प्रशिक्षण का अच्छा प्रबन्ध है। यह प्रशिक्षण सप्ताह में केवल दो दिन होता है, साथ ही विद्यार्थी को वार्षिक कैम्प या अन्य सैनिक आयोजनों में भाग लेना आवश्यक होता है। इसमं नामांकन हेतु छात्र/छात्राएं एन.सी.सी. कार्यालय में सम्पर्क कर सकते है।

राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस.)

स्नातक स्तर के विद्यार्थियों के लिए विद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना की तीन इकाइयाँ है। इस योजना में विद्यार्थी को 2 वर्ष तक कार्य करना होता है। इस योजना में नामांकन हेतु छात्र/छात्रा उक्त कार्यालय में सम्पर्क कर सकते हैं।

खेल–कूद एवं शारीरिक सम्बर्द्धन विभाग

खेल–कूद के क्षेत्र में इस संस्था को राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति उपलब्ध है। छात्रावासों में रहने वाले छात्रों के लिए खेल–कूद अनिवार्य है। विद्यालय में हाकी, फुटबाल, बालीवाल, बास्केटबाल, क्रिकेट, बैडमिन्टन आदि खेलों की पूरी व्यवस्था है। खेल प्रशिक्षकों द्वारा इन खेलों का प्रशिक्षण विद्यार्थियों को दिया जाता है। सभी खेलों की प्रति वर्ष अर्न्तछात्रावास तथा डेलीगेसी की प्रतियोगिताएं होती है। प्रत्येक विद्यार्थी को किसी न किसी खेल–कूद में भाग लेना आवश्यक है। संस्थापन समारोह के अन्तर्गत वार्षिक खेल–कूद में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया जाता है। महाविद्यालय परिसर में छात्रों के उपयोग हेतु दो जिम्नेजियम है, जहाँ शारीरिक व्यायामों के अतिरिक्त आसन योगाभ्यास आदि की शिक्षा कुशल और अनुभवी प्रशिक्षकों द्वारा दी जाती है। यह प्रशिक्षण वैकल्पिक है, परन्तु छात्रों के लाभ के लिए अधिक से अधिक विद्यार्थियों को भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाता है।

सन्तरण सरोवर

महाविद्यालय का अपना एक पक्का आधुनिक ढंग का सन्तरण सरोवर भी है। इसके आधुनिकीकरण का प्रयास किया जा रहा है।

सन्ध्योपासन–

प्राचीन सांस्कृतिक परम्पराओं के अनुरक्षण हेतु विद्यालय परिसर में एक सन्ध्याहाल विद्यालय के स्थापना काल से ही स्थापित है। छात्रावास में रहने वाले छात्रों को प्रतिदिन योग्य प्रशिक्षक द्वारा सन्ध्योपासना कराई जाती है। छात्रावास में रहने वाले महाविद्यालय के जो छात्र सन्ध्या तथा पी.टी. कार्यक्रम में नियमित रूप से भाग लेंगे उन्हें अगले वर्ष छात्रावास में प्रवेश के लिए वरीयता दी जायेगी। छात्रावास में रहने वाले अनुशासित छात्रों को पुरस्कृत भी किया जायेगा।

अस्पताल –

परिसर के मध्य में संस्था का अपना एक अलग अस्पताल है, जिसमें योग्य चिकित्सक तथा कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है। अस्पताल में छात्र/छात्राओं के उपचार के साथ–साथ आवश्यक होने पर भर्ती करने की भी व्यवस्था है।

छात्रावास –

महाविद्यालय में चार छात्रावास है जिसमें तीन छात्रों तथा एक छात्राओं के लिए है। प्रत्येक छात्रावास अपनी भोजन व्यवस्था में स्वतः पूर्ण है, जिसका प्रबन्ध गृहपति की सहायता से विद्यार्थी प्रतिनिधियों द्वारा होता है। सभी खाद्य सामग्री सहकारी समिति के माध्यम से खरीदी जाती है। छात्रावासों में नाई, धोबी आदि की भी व्यवस्था है।

कृषि फार्म एवं डेयरी फार्म –

कृषि के विद्यार्थियों के प्रशिक्षण हेतु कालेज का अपना एक 50 एकड़ का कृषि एवं डेयरी फार्म हैं जिसके प्रमुख अंग निम्नलिखित है। डेयरी में उन्नतशील गाय एवं भैंसों के पालन की उपयुक्त व्यवस्था है। प्राप्त दूध से विद्यार्थियों की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती, इसलिए परिसर के भीतर निजी दूध विक्रेताओं को निर्धारित दर पर दूध–दही बेचने की अनुमति दी गई है। विद्यार्थियों के पठन–पाठन हेतु आधुनिक कुक्कुटशाला की स्थापना की गई है। यहाँ से छात्रों को अण्डे तथा मुर्गे प्राप्त करने की सुविधा है। इसकी देख–रेख के लिए योग्य परिचर की व्यवस्था है। महाविद्यालय में पास दो बड़े तालाब है, जहाँ मछलियाँ पाली और बेची जाती हैं। कृषि के छात्रों को भेड़ एवं बकरियों की उन्नतशील प्रजातियों एवं उनसे सम्बन्धित जानकारी देने के उद्देश्य से भेड़ एवं बकरिया पाली गयी है।

सहकारी समिति –

परिसर में उदय प्रताप कालेज सहकारी समिति सन् 1932 से ही स्थापित है जिसे रजिस्टर्ड 'अ' श्रेणी प्राप्त है। इसके द्वारा विद्यार्थियों को शुद्ध खाद्य–सामग्री, सब्जी, सरसों का तेल, कपड़ा, साबुन आदि उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने की सुविधा भी है। समिति की अपनी आटा तथा तेल मिले हैं। समिति दैनिक उपयोग की वस्तुएं तथा लेखन सामग्री की भी बिक्री करती है। समिति के निरीक्षण में ही मिठाई विक्रेता, मोची आदि की सेवाएं छात्रों को उपलब्ध है।

कालेज पत्रिका –

महाविद्यालय द्वारा 'उदयश्री' नाम की एक पत्रिका भी प्रकाशित की जाती है, जिसका सम्पादन विद्यार्थियों तथा अध्यापकों द्वारा होता है। इसके माध्यम से विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा को प्रकाश में लाने का अवसर दिया जाता है। प्राचीन छात्रों से भी पत्रिका हेतु लेख आमन्त्रित किये जाते हैं।

राजर्षि सभागार–

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्राप्त अनुदान से लगभग 2000 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता वाला आधुनिकतम बहुउद्देशीय राजर्षि सभागार उपलब्ध है।

विभागीय परिषदें–

छात्रों के सर्वांगीण विकास एवं उनके ज्ञानवर्धक प्रवृत्तियों के विकास के लिए विभागीय परिषदों की स्थापना की गई है, जिनके माध्यम से विचार–गोष्ठी, शोध–गोष्ठी, वाद–विवाद प्रतियोगितायें, चलचित्र प्रदर्शन एवं शैक्षणिक पर्यटन का आयोजन किया जाता है। प्रत्येक विभागीय परिषद के अपने पुस्तकालय भी हैं, जहाँ स्नातकोत्तर तथा शोध छात्रों हेतु उपयोगी पुस्तकें उपलब्ध हैं।

शोध परियोजनाएँ

केन्द्र एवं राज्य सरकारों के आर्थिक अनुदानों से महाविद्यालय में अनेक शोध परियोजनायें प्रगति पर हैं तथा अन्य स्वीकृत भी हुई है।

विद्यालय के प्रमुख उत्सव–

उदय प्रताप शिक्षा समिति द्वारा संचालित सभी इकाइयों द्वारा समवेत रूप से राष्ट्रीय पर्व एवं उत्सव एक साथ मनाये जाते है। 15 अगस्त एवं 26 जनवरी को सभी इकाईयों के एन.सी.सी. छात्रों द्वारा आकर्षक परेड प्रस्तुत की जाती है। विद्यालय में प्रतिवर्ष 3 सितम्बर राजर्षि जयन्ती एवं 25 नवम्बर संस्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। संस्थापन सप्ताह (19 नवम्बर से 25 नवम्बर) के अन्तर्गत छात्रावास एवं डेलीगेसी के छात्र/छात्राओं के बीच खेल–कूद, वाद–विवाद, लोकगीत आदि प्रतियोगितायें आयोजित की जाती हैं।

बैंक एवं पोस्ट आफिस–

महाविद्यालय के छात्रों, अध्यापकों एवं कर्मचारियों की सुविधा हेतु विद्यालय परिसर में मुख्य प्रवेश द्वार के समीप इलाहाबाद बैंक की शाखा एवं पोस्ट आफिस स्थित है।

कैण्टीन–

महाविद्यालय में छात्र/छात्राओं, अध्यापकों और कर्मचारियों हेतु एक आधुनिक ढंग की कैण्टीन है जिसमें अल्पाहार की व्यवस्था है।

छात्राओं का कामन रूम–

महाविद्यालय की छात्राओं हेतु आवश्यक सुविधा युक्त कामन रूम उपलब्ध है।

प्राचीन छात्र एसोसिएशन –

प्राचीन छात्रों की एक अलग रजिस्टर्ड संस्था है, जिसका अपना निवास–भवन और कार्यालय है। इस विद्यालय से उत्तीर्ण होने के दो वर्ष बाद विद्यार्थी वार्षिक सदस्यता शुल्क जमा कर इसके सदस्य बन सकते है।

परिषद की नियमावली परिषद भवन से प्राप्त की जा सकती है। सम्प्रति प्राचीन छात्रों के आश्रितों को प्रवेश में पांच अंक अधिभार दिया जाता है।

रेलवे कन्सेशन–

विद्यार्थियों को यात्रा हेतु महाविद्यालय से रेलवे कन्सेशन की भी सुविधा उपलब्ध है। यह कन्सेशन केवल पांच दिनों से अधिक की छुट्टियों में विद्यार्थी को घर जाने तथा आने हेतु मिलता है। अतः घर के निकटस्थ रेलवे स्टेशन का नाम प्रवेश आवेदन पत्र पर लिखना अनिवार्य है।

छात्रवृत्तियाँ एवं छात्र सहायता सुविधाएँ–

महाविद्यालय में योग्य एवं प्रतिभाशाली छात्रों के लिए छात्रवृत्तियाँ दी जाती हैं। इसके अतिरिक्त प्रतिवर्ष निर्धन छात्र कोष, प्राचीन छात्र एसोसिएशन तथा सहकारी समिति के दान कोष से अनेक विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता दी जाती है। शिक्षण शुल्क में अर्द्ध तथा पूर्ण निःशुल्कता प्रत्येक कक्षा में छात्र/छात्राओं की संख्या के आधार पर दी जाती है। महाविद्यालय का यह प्रयत्न रहता है कि कोई निर्धन परन्तु योग्य छात्र आर्थिक कठिनाईयों के कारण शिक्षा पाने से वंचित न रह जाय।

राजर्षि जयन्ती और संस्थापन समारोह सप्ताह के अवसरों पर विद्यालय की परीक्षाओं में विशेष योग्यता के साथ उत्तीर्ण होने वाले छात्र/छात्राओं को विविध पुरस्कार दिये जाते हैं।

छात्रसंघ–

छात्रसंघ छात्र/छात्राओं एवं महाविद्यालय प्रशासन के बीच सेतु का कार्य करता है।

आई.क्यू.ए.सी.–

महाविद्यालय के शैक्षणिक एवं संरचनात्मक गुणवत्ता की सतत् अभिवृद्धि के लिए आन्तरिक गुणवत्ता अनुभाग का गठन किया गया है।

कैरियर काउन्सिलिंग एवं प्लेसमेण्ट सेल–

रोजगार सम्बन्धी सूचना, दिशा निर्देश एवं छात्रों के प्लेसमेन्ट के लिए यह सेल क्रियाशील है। इस सेल के माध्यम से विगत वर्षों में छात्र/छात्राओं को विभिन्न कम्पनियो (IBM-Daksha, Dayal Fertilizer, Indo Gulf, BAIF, Matrix Lab Ltd. Laboratories, ICICI Bank, LIC, Reliance, Vodaphone इत्यादि) में अच्छे पैकेज पर रोजगार उपलब्ध हुआ है।

महिला प्रकोष्ठ–

महाविद्यालय में छात्राओं की सुरक्षा, कल्याण एवं व्यक्तित्व के विकास के लिए यह प्रकोष्ठ क्रियाशील है।

रेमेडियल कोचिंग/सर्विस हेतु कोचिंग–

यू.जी.सी. द्वारा अनुदानित यह सुविधा आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े छात्र/छात्राओं के लिए है।

माडल प्रश्न

कला वर्ग

प्रश्नः हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था–

(A) 1975 (B) 1885

(C) 1757 (D) 1526

प्रश्न : कामायनी किस कवि की रचना है–

(A) जयशंकर प्रसाद (B) मुंशी प्रेमचन्द

(C) महादेवी वर्मा (D) सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला

प्रश्न : विलियम शेक्सपियर किस भाषा के लेखक है–

(A) अंग्रेजी (B) उर्दू

(C) हिन्दी (D) फ्रेंच

प्रश्न : किस देश को उगजे सूरज का देश कहा जाता है–

(A) जापान (B) भारत

(C) रूस (D) अमेरिका

प्रश्न : संयुक्त राष्ट्र का मुख्य कार्यालय स्थित है–

(A) इग्लैण्ड (B) भारत

(C) कनाडा (D) न्यूयार्क

प्रश्नः एडमस्मिथ सम्बन्धित है–

(A) भूगोल (B) अर्थशास्त्र

(C) भौतिक विज्ञान (D) वनस्पति विज्ञान

प्रश्न : सामाजिक समस्याओं और मानवीय प्रगति के अध्ययन से सम्बन्धित विषय को कहते है –

(A) इतिहास (B) सामाजिक विज्ञान

(C) एनेटामी (D) अर्थशास्त्र

विज्ञान वर्ग (गणित वर्ग)

प्रश्न : निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत–चुम्बकीय तरंग नहीं है–

(A) अल्फा किरणें (B) गामा किरणें

(C) अवरक्त किरणें (D) एक्स किरणें

प्रश्नः प्रकाश तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति की पुष्टि होती है–

(A) व्यतिकरण द्वारा (B) ध्रुवण द्वारा

(C) विवर्तन द्वारा (D) अपूर्ण आन्तरिक परावर्तन द्वारा

विज्ञान वर्ग (जीव विज्ञान)

प्रश्न : 10^{-8} MHCL का P^H होगा–

(A) 7 (B) 8

(C) 7 से कम (D) 10

प्रश्नः वनस्पति विज्ञान के जनक कौन हैं–

(A) एरिस्टाटिक (B) हूकट

(C) थियोफ्रैस्टस (D) जे.सी. बोस

प्रश्नः निम्नलिखित में कौन सा पौधा C, ग्रुप का है–

(A) गेहूँ (B) गन्ना

(C) चना (D) मटर

प्रश्नः आनुवांशिकी के जन्मदाता हैं–

(A) न्यूटन (B) राबर्ट हुक

(C) खुराना (D) मैण्डल

प्रश्नः सामान्य मनुष्य में गुण सूत्रों की संख्या है–

(A) 45 (C) 30

(B) 46 (D) 25

वाणिज्य वर्गः

प्रश्नः उपयोगिता के गणनावाचक दृष्टिकोण का प्रतिवादक कौन था–

(A) हिक्स (C) मार्शल

(B) एडमस्मिथ (D) उपरोक्त में से कोई नहीं

प्रश्नः किसने कहा है– मुद्रा वस्तु है जिसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त है–

(A) मार्शल (C) राबर्टसन

(B) कीन्स (D) सेलिंग मैन

कृषि वर्ग

प्रश्नः गेहूँ में लगने वाला मुख्य रोग है–

(A) काला रतुआ रोग (C) लाल सड़न रोग

(B) सफेद रतुआ रोग (D) टिक्का रोग

प्रश्नः भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान स्थित है–

(A) दिल्ली में (C) मुम्बई में

(B) कोलकाता में (D) बनारस में

प्रश्नः निम्नलिखित में से धान की सुगंधित प्रजाति है–

(A) जया (C) टी–3

(B) साकेत–4 (D) आई.आर.–8

उत्तर अंकित करने के अनुदेश/Instruction for marking answer:

1. केवल काला/नीला बाल प्वाइंट पेन का प्रयोग करें।
2. प्रत्येक प्रश्न के लिए केवल एक ही उत्तर अंकित किया जाना है। यदि आप एक से अधिक उत्तर अंकित करते हैं तो आपका उत्तर गलत माना जाएगा।
3. उत्तर अंकित करने के लिए सम्बन्धित एक ही वृत्त को बॉल पेन से पूर्णतया गहरा काला/नीला करें।
4. अपना उत्तर केवल उत्तर पत्रक में निर्दिष्ट स्थान पर ही अंकित करें। उत्तर पत्रक में कहीं अन्यत्र अंकन करने पर उसकी गणना नहीं की जायेगी।
5. रफ कार्य के लिए प्रश्नपुस्तिका में निर्धारित स्थान का ही प्रयोग करें।
6. उत्तर पत्रक किसी भी स्थिति में खाली/कोरी (Blank) न छोड़े।
7. उत्तर पत्रक कम्प्यूटर द्वारा मूल्यांकित किया जाएगा। उत्तर पत्रक के सही मूल्यांकन हेतु सही निर्देशों का पालन अति आवश्यक है। निर्देशों का पालन न करने के परिणामस्वरूप होने वाली किसी भी त्रुटि के लिए परीक्षार्थी स्वयं उत्तरदायी होगा।
8. उत्तर पत्रक को न तो मोड़े और न ही गन्दा करें।
9. उत्तर पत्रक का नमूना संलग्न है तथा उत्तर पत्रक भरने हेतु निर्देश भी इसके पृष्ठ पर अंकित है।

प्रवेश पत्र/ Admit Card

- **प्रवेश पत्र कालेज बेवसाइट www.upcollege.org के लिंक upcentrance.org पर 06 जून, 2020 से डाउनलोड किया जा सकता है।**
- **प्रवेश पत्र खो जाने की स्थिति में परीक्षा समय से दो घंटे पूर्व रू0 25/– प्रवेश परीक्षा कार्यालय में जमा करके प्रवेश पत्र की द्वितीय प्रति (Duplicate Admit Card) प्राप्त की जा सकती है।**

काउन्सिलिंग के समय निम्नलिखित के साथ उपस्थित हों :–

1- प्रवेश परीक्षा का प्रवेश पत्र की मूल प्रति (Admit Card)

2. हाईस्कूल या समकक्ष परीक्षा का मूल अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र तथा उनकी छायाप्रतियाँ।
3. इण्टरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा का मूल अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र तथा उनकी छायाप्रतियाँ।
4. (स्नातकोत्तर कक्षाओं के अभ्यर्थियों हेतु) स्नातक या समकक्ष परीक्षा का मूल अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र तथा उनकी छायाप्रतियाँ।
5. चरित्र प्रमाण पत्र की मूल प्रति।
6. स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (T.C.)/प्रवजन प्रमाण पत्र (Migration) की मूल प्रति।

7. श्रेणी (वर्ग), उपश्रेणी (उपवर्ग) अधिभार से सम्बन्धित मूल प्रमाण पत्र एवं छायाप्रति।
8. खेलकूद से सम्बन्धित मूल प्रमाण पत्र एवं छायाप्रति।
9. निर्धारित शैक्षणिक शुल्क।
10. एण्टी रैंगिंग से सम्बन्धित दो शपथ पत्र (विद्यार्थी एवं अभिभावक द्वारा) प्रारूप कालेज बेवसाइट पर उपलब्ध है।
11. जाति प्रमाण पत्र राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी किया गया ही मान्य होगा। **अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 01 अगस्त, 2017 से पहले का निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।**
12. आधार कार्ड की छायाप्रति।

नोटः–

1. प्रवेश के समय कोई अण्डर टेकिंग मान्य नहीं होगी।
2. प्रवेश सम्बन्धी सूचनाएँ समय–समय पर कालेज की बेवसाइट www.upcollege.org पर उपलब्ध रहेगी।
3. काउंसिलिंग के समय किसी भी आवश्यक दस्तावेज के अभाव में प्रवेश सम्भव नहीं होगा।

?

संस्थापक पूज्य राजर्षि के विद्यालय के सम्बन्ध में उद्‌गार

'' यही आशा अटके रह्यों, अलि गुलाब के मूल।
अइहैं बहुरि बसन्त ऋतु, इन डारिन वे फूल।।''